METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

एडीजीसी श्री वेद पाल

पैरोकार का0 विमल कुमार

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation convition अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ स्कूल वैन में छेड़खानी करने की सूचना पर दिनांक 25.01.2023 को समय 13.59 बजे थाना जायस पर मु0अ0सं0 30/2023 धारा 354क भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 20.09.2025 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रायबरेली द्वारा अभियुक्त को *07 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को *07 वर्ष का कठोर कारावास।*
- *अभियुक्त को 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह अतिरिक्त कारावास।*

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- ***अनिल कुमार तिवारी पुत्र उमाशंकर तिवारी निवासी भावापुर थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली।***